संख्या-167/2021/905/22-2-2020-17(370)/2016

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 सितम्बर, 2021***

विषय:- शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018 दिनांक 01.08.2018 द्वारा निर्गत स्थायी नीति के अन्तर्गत आजीवन कारावास से दण्डित केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24566/प्रोवेशन-6/147/26 जनवरी 2020, दिनांक 05-10-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह, जो चतिया फैजू, थाना-फतेहगंज पूर्वी, जनपद-बरेली का रहने वाला है। दिनांक 27.10.1995 को अभियुक्त ने 08 वर्षीय लड़की की बलात्कार करके गला घोंटकर हत्या का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-48/96 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 31.08.1998 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2007 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2019 तक 23 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा कारित अपराध की जघन्यता, शासनादेश दिनांक 01.08.2018 के प्रस्तर-2(च) सपठित पैरा (3xiii) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी से आच्छादित होने एवं आयु इत्यादि के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त सिद्धदोष बन्दी उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी उर्मेश (बन्दी संख्या-34509) पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी जनपद-बरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-167/2021/905(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in